संख्या-10/2017/ए-1-638/दस-2017-10(51)/2015

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2017

विषय :- सभी रेमिटेन्स विभाग (पी0डब्लू0डी0, सिंचाई, वन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग) खाद्य एवं रसद तथा पी0एल0ए0 में ई-पेमेण्ट लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2016/ए-1-651/दस-2016-10(51)/2015, दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा रेमिटेन्स विभाग (पी0डब्लू0डी0, सिंचाई, वन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग) खाद्य एवं रसद तथा पी0एल0ए0 में फैजाबाद कोषागार में दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से ई-पेमेण्ट लागू किया गया था जिसमें पूर्व में प्रचलित चेक निर्गत कर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया को समाप्त करके उसके स्थान पर तत्समय एक प्रारूप निर्धारित करते हुए उस प्रारूप पर विवरण अंकित कर ई-पेमेण्ट के उपरान्त लेखों के साथ महालेखाकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- फैजाबाद कोषागार में दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से ई-पेमेण्ट उक्त विभागों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस व्यवस्था में तत्समय कतिपय कटौतियाँ यथा-आयकर, वैट तथा लेबर सेस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

आदि के पुस्तांकन की व्यवस्था कोषागार साफ्टवेयर में नहीं की जा सकी थी। एन0आई0सी0 द्वारा उक्त कटौतियों की व्यवस्था हेतु साफ्टवेयर में संशोधन कर दिया गया है तथा तत्समय शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप में उक्त कटौतियों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करते हुए प्रारूप को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित प्रारूप की प्रति संलग्न है।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-9/2017/ए-1-568/दस-2017-10(26)/2017, दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा प्रदेश में डी0डी0ओ0 पोर्टल की व्यवस्था भी चरणबद्ध रूप से दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक पूर्णतया लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: यह समीचीन प्रतीत होता है कि इन विभागों में भी ई-पेमेण्ट की व्यवस्था डी0डी0ओ0 पोर्टल के माध्यम से लागू की जाये ताकि डी0डी0ओ0 पोर्टल से प्राप्त होने वाली सुविधा प्रश्नगत् विभागों को भी उपलब्ध हो सके।

4- अत: फैजाबाद कोषागार में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ई-पेमेण्ट की व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित होने के फलस्वरूप शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब रेमिटेन्स से सम्बन्धित सभी विभागों, खाद्य एवं रसद विभाग तथा पी0एल0ए0 में चेकों के स्थान पर ई-पेमेण्ट की व्यवस्था डी0डी0ओ0 पोर्टल के माध्यम से फैजाबाद कोषागार के साथ-साथ कानपुर नगर कोषागार जहाँ ई-कुबेर प्रणाली शासनादेश संख्या-ए-1-635/दस-10(25)/2007, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2017 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, में भी दिनांक 11 जुलाई, 2017 से लागू कर दी जाये।

5- प्रदेश के अन्य कोषागारों में डी0डी0ओ0 पोर्टल के माध्यम से उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से लागू होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- संख्या-9/2016/ए-1-651/दस-2016-10 (51)/2015, दिनांक 25 जुलाई, 2016 में उल्लिखित अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10/2017/ए-1-638(1)/दस-2017-10(51)/2015, तद्दिनांक।

(1) प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20-सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) उ0प्र0 योजना भवन, लखनऊ।
(8) एडमिनिस्ट्रेटर, सेण्ट्रल सर्वर कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) उप महाप्रबन्धक (बैंकिंग) एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001.
(10) सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ- 226001.
(11) क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

साख-सीमा/पी0एल0ए0/खाद्य एवं रसद भुगतान प्रपत्र

1- जनपद का नाम :... 2- कोषागार का नाम: .... 3- टोकन नं0 ....

4- कोषागार का कोड : .... 5- देयक पंजी की क्रम संख्या .... 6- दिनांक ....

7- वाउचर संख्या : .... 8 : वाउचर का दिनाक.. 9- मतदेय/भारित

(कोषागार द्वारा भरा जाना है) (कोषागार द्वारा भरा जाना है) (जो अनुमन्य हो सही करें शेष काट दें)

10- लेखाशीर्षक का 13 अंकों का कोड : ....

(4 मुख्य लेखाशीर्षक +2 उप मुख्य शीर्षक +3 लघु शीर्षक +2 उपशीर्षक +2 ब्यौरेवार शीर्षक)

11: आ0वि0आ0 का पदनाम : ....

12- डी0डी0ओ0 कोड/डिवीजन/पी0एल0ए0 कोड : .... 13- अधिष्ठान का नाम : ....

(मुहर लगायी जा सकती है)

14- अनुदान संख्या : .... 15- सोर्स कोड : .... 16- सेक्टर कोड : ....

17- मानक मद का कोड तथा नाम : ....

बजट की वर्तमान स्थिति :-

मानक मद का नाम एवं कोड	आवंटित कुल बजट		इस बिल को शामिल करते हुए कुल व्यय		अवशेष बजट	
	रू0	पै0	रू0	पै0	रू0	पै0

	भुगतान का विवरण धनराशि (रू0)
सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	
कटौतियों का कोड सहित विवरण 1. 2. 3.	
सम्पूर्ण कटौतियाँ	
शुद्ध देय धनराशि (अंकों में)	
शब्दों में :	
स्टेट बैंक की धनराशि-	
अन्य बैंक की धनराशि-	
ड्राफ्ट की धनराशि-	

आहरण-वितरण अधिकारी

पदनाम सहित हस्ताक्षर (मुहर)